सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **592** राँची, बुधवार

21 श्रावण, 1937 (श०)

12 अगस्त, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त, 2015

सं०.- 7/न० प्र० नि०/PMAY(HFA)/01/2015-2754-- राज्य के स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों कों विभिन्न विकल्पों के माध्यम से आवसीय आवश्कता को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) आरंभ की गयी है। भारत सरकार के एतद् सम्बंधी मार्गदर्शिका में उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु " राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति " State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) गठित करने का प्रस्ताव अवधारित है ।

तदनुसार परियोजनाओं की समीक्षा तथा अनुश्रवन करने के उद्देश्य से मार्गदर्शिका के कंडिका 16.5 के अनुसार निदेशालय, नगरीय प्रशासन को "नोडल एजेंसी" एवं निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को योजना का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

इसी प्रकार मार्गदर्शिका के कंडिका 16.4 में उल्लेखित संरचना के अनुरूप मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में " राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति " का निम्नानुसार सांगठनिक स्वरुप गठित किया जाता है :

1	मुख्य /सचिव,	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	उपाध्यक्ष
3	प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रधान सचिव/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
6	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति	सदस्य
7	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय	सदस्य- सचिव

<u>उपर्युक्त समिति के निन्मलिखित ब्यापक कार्य एवं दायित्व होंगे</u>**:-**

- सभी के लिए आवास कार्य योजना (HFAPOA) एवं वार्षिक कार्य योजना (AIPS) का अनुमोदन।
- मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत DPR का अनुमोदन ।
- वार्षिक गुणवत्ता निगरानी योजनाओं (AQMP) का अनुमोदन ।
- मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी ।
- राज्य एवं शहरों में अनुमोदित परियोजनओं की प्रगति की समीक्षा ।
- मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य कोई विषय ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 592—50।